

**पद :** सह परामर्शदाता/वरीष्ठ परामर्शदाता – वित्त

**पद कोड :** CON-24

**पदों की संख्या :** 01 (एक)

**अवधि :** यह नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक है एवं विभागीय आवश्यकता एवं कार्य प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है।

**समेकित वेतन :** सह परामर्शदाता हेतु समेकित शुल्क 75,000/- रुपये प्रति माह एवं वरीष्ठ परामर्श हेतु 1,25,000/- रुपये प्रति माह होगा।

**कार्य विवरण :** विभिन्न वित्त पोषण योजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन से संबंधित वित्तीय मामलों संबंधी कार्य।

**रिपोर्टिंग प्रणाली :** परामर्शदाता प्रत्येक कार्य हेतु आवश्यक रूप से महाप्रबंधक (प्रमुख-निवेश विभाग) को रिपोर्ट करना होगा।

**मुख्य कार्यभार :**

- अनुमोदन पूर्व एवं पश्चात की वित्तीय यात्राओं के आयोजन हेतु आवेदकों, अनुदान प्राप्तकर्ताओं और एफडीडी परामर्शदाताओं के साथ जुड़ना।
- एफडीडी रिपोर्टों का विश्लेषण करना और उसमें उठाए गए मुद्दों/समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू करना।
- अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों जैसे बैंक विवरण, यूसी, एसओई इत्यादि की जांच एवं पुनरीक्षण करना।
- निम्नलिखित कार्यों को सुविधाजनक बनाने हेतु वित्तीय दस्तावेजों में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए अनुदान प्राप्तकर्ताओं से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना : (क) चल रही परियोजनाओं में धन जारी करना और (ख) तकनीकी रूप से पूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय रूप से बंद करना।
- यूसी, खर्च न की गई शेष राशि की वापसी, बिक्री प्रमाणपत्र और रॉयल्टी के लिए कंपनियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।
- अनुदान प्रबंधन से जुड़े अन्य वित्तीय मामले।

**अनिवार्य योग्यता :**

सीए/आईसीडब्ल्यूए  
अथवा  
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए फाइनेंस/पीजीडीएम-  
फाइनेंस के साथ बी.कॉम.

**अनुभव :**

**सह परामर्शदाता :** 3 से 10 वर्ष का अनुभव जिसमें परियोजना प्रबंधन से संबंधित वित्तीय मामलों में योग्यता के अतिरिक्त न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।

**वरीष्ठ परामर्शदाता :** 11 से 19 वर्ष का अनुभव, परियोजना प्रबंधन से संबंधित वित्तीय मामलों में योग्यता के अतिरिक्त न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

**आयु सीमा :** रिक्ति की अंतिम तिथि के अनुसार :

**सह परामर्शदाता : 45 वर्ष**

**वरीष्ठ परामर्शदाता : 50 वर्ष**